बिहार सरकार

<u>योजना एव विकास विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

विषय. **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका–2014 की कंडिका 6 में संशोधन ।**

विभागीय संकल्प संख्या–2905 दिनांक 11.07.2014 द्वारा प्रचालित मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका–2014 की कंडिका 6 में सशोधन के उपरांत विभागीय संकल्प संख्या–3210 दिनांक 22.06.2016 द्वारा अनुमान्य योजनाओं की सूची अधिसूचित की गयी है। पुनः विभागीय विभिन्न संकल्पो से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका–2014 में समय–समय पर योजनाओं की अनुमान्य योजना सूची में कतिपय योजनाओं को जोड़ा गया है। मार्गदर्शिका की कंडिका–6 में संशोधन के पुनः प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न योजना को सम्मिलित/संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

(I) **मार्गदर्शिका की कंडिका संख्या–6** (योजनाओं का चयन) में निम्न योजना को सम्मिलित/संशोधित किया जाता है :–

<u>कंडिका 6(44)</u> – माननीय विधान मंडल सदस्यों की प्रति वर्ष अनुमान्यता राशि के अधिकतम 15 प्रतिशत (अर्थात् अधिकतम 45.00 लाख रूपये) राशि से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित अनुमान्य योजनाओं की सूची से आच्छादित राज्य सरकार के सभी विभागों की योजनाओं का जीर्णोद्धार एवं मरम्मति।

आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं (अचल सम्पति) की मरम्मति/जीर्णोद्धार के पूर्व उसके स्वामित्व वाले विभाग/कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही माननीय विधान मंडल सदस्यों से मरम्मति/जीर्णोद्धार की अनुशंसा प्राप्त योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

कंडिका 6(क)(1) को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :–

"किसी भी प्रकार के चल परिसम्पति की मरम्मति एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य"

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

17/01/19

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाकः यो03/मु.क्षे.वि.यो.–1/2010–300 /यो.वि.,पटना, दिनांक 17 जनवरी, 2019

प्रतिलिपिः बिहार विधान मण्डल के माननीय सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

17/01/19

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक. यो03/मु.क्षे.वि.यो.–1/2010–300 /यो.वि.,पटना, दिनांक 17 जनवरी, 2019

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री के सचिव, बिहार/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/19

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो03/मु.क्षे.वि.यो.–1/2010–300 /यो.वि.,पटना, दिनांक 17 जनवरी, 2019

प्रतिलिपिः सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/19

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो03/मु.क्षे.वि.यो.–1/2010–300 /यो.वि.,पटना, दिनांक 17 जनवरी, 2019

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/19

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो03/मु.क्षे.वि.यो.–1/2010–300 /यो.वि.,पटना, दिनांक 17 जनवरी, 2019

प्रतिलिपिः मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/19

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो03/मु.क्षे.वि.यो.–1/2010–300 /यो.वि.,पटना, दिनांक 17 जनवरी, 2019

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को ई–गजट मे प्रकाशनार्थ सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

17/01/19

सरकार के अपर सचिव